

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-39/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० रोहित कुमार, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा का दिनांक-17.09.2020 से 19.09.2023 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-20.09.2023 से 01.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

1.	दिनांक-17.09.2020 से 19.09.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2.	दिनांक-20.09.2023 से 01.02.2024 तक	
i.	दिनांक-20.09.2023 से 12.10.2023 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-13.10.2023 से 15.10.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
iii.	दिनांक-16.10.2023 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2 प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-39/2025-

887(2)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरवन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/प्रचार्य/अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० रोहित कुमार, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव